

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5-23/2023/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13/08/2025

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता उपमंडल अभियंता, भारत संचार निगम लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोण्डागांव जिले के दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 2.181 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:- 1. विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 05.12.2023 तथा पत्र दिनांक 20.03.2024।

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/BSNL/115-859/1841, दिनांक 14.07.2025।

---000---

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र क्र. 1 के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तत्कालीन दिशा निर्देश अंतर्गत सामान्य अनुमोदन के तहत राज्य शासन स्तर से सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।

2/- उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से प्रेषित कर राज्य शासन स्तर से औपचारिक स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया।

3/- अतः राज्य शासन के संदर्भित पत्र क्र. 1 द्वारा जारी उपरोक्त प्रथम चरण स्वीकृति में निहित शर्तों के पालन करने की शर्त पर राज्य शासन एतद् द्वारा अंतिम चरण स्वीकृति प्रदान करता है। संदर्भित पत्र क्र. 1 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु अधिरोपित शर्त एवं शर्त क्र. 11 जो वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 से संबंधित है, का विशेष ध्यान देकर पालन किया जाये।

4/- राज्य शासन द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 में अधिरोपित उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन को वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 का उल्लंघन मानकर कार्यवाही की जायेगी। राज्य शासन की ओर से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 उपरोक्त शर्तों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार



(डी.आर.सोन्टापर)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्रमशः 2

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5-23/2023/10-2
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13/08/2025

- 1.वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
 - 2.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।
 - 3.मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर छत्तीसगढ़।
 - 4.वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल, छत्तीसगढ़।
 - 5.आवेदनकर्ता, Sub Divisional Engineer, BSNL, C-18, BSNL Colony Khamardh Raipur, Civil Line, Raipur, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग